

कार्यालय : वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Phone : Off - 06582-256366; E-mail: sarandadfo@gmail.com



अर्थ: वन विभाग
जहाँ है वहाँ है

पत्रांक 335 / चाईबासा, दिनांक 08.02.2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर।

विषय :- Diversion of 7.67 ha of forest land for reconstruction of Gua-Salai Road Km 11.00 to Km 29.00 in favour of Road Construction Department in Saranda Forest Division of Jharkhand

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालयत्र राँची के पत्रांक FP/JH/ROAD/23802/2017/1945 दिनांक 05.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00 में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण -मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से सशर्त दी गई है। स्वीकृत्यादेश की शर्त संख्या-2 के अनुसार अपयोजित वनभूमि का NPV की एवं स्वीकृत्यादेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि एकमुश्त कैम्पा खाते में जमा करनी है।

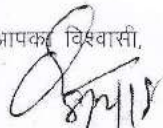
माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 में वनभूमि का N.P.V के लिए निर्धारित दर तालिका के अनुसार विषयगत गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00 में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण -मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए अपयोजन स्वीकृत क्षेत्र 7.67 हे० वनभूमि की N.P.V की एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि संगणना निम्नवत् की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रस्तावित निर्माण/संरचना	रकबा	NPV/PCA की दर प्रति हे०	राशि(रुपये में)
1	गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00 तक	7.67 ha	939000/-	7202130/-
2	गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00 तक में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि	1.00 ha	168953/-	168953/-
योग:-				7371083/-

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00 में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण -मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए अपयोजन स्वीकृत 7.67 हे० वनभूमि की N.P.V, की संगणित राशि 72,02,130/- (बहत्तर लाख दो हजार एक सौ तीस) रुपये मात्र तथा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की संगणित राशि 1,68,953/- (एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ तिरपन) रुपये यानि कुल 73,71,083/- (तिहत्तर लाख एकहत्तर हजार तिरासी) रुपये Deposited through Challan Generated Online on Web portal & Deposited in appropriate Bank Online Only. Other mode will be not accepted. N.P.V. की संगणित राशि में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो बढी हड़ राशि का

मांग-पत्र के अनुरूप भुगतान/जमा करने के संबंध में वांछित वचनबद्धता भी समर्पित करें। स्वीकृत्यादेश में वर्णित अन्य शर्तों का Online अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की Hard Copy भी 8-8 प्रतियों में समर्पित की जाय ताकि अन्तिम स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,



वन संरक्षक,

सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

कार्यालय : वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Phone : Off - 06582 256366, E-mail-sarandaforest@gmail.com

पत्रांक 486 / चाईबासा, दिनांक 28.02.2018

कार्य 8 वनसंरक्षक
वर्ग है अक्षांश

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, ननोहरपुर।

विषय :-

Diversion of 9.969 ha of forest land for reconstruction of Gua-Salai Road Km 02.00 to Km 11.00 & Diversion of 7.67 ha of forest land for reconstruction of Gua-Salai Road Km 11.00 to Km 29.00 in favour of Road Construction Department in Saranda Forest Division of Jharkhand

प्राप्त :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP /IH /ROAD /23799/2017/1944 दिनांक 05.02.2018 एवं पत्रांक FP /IH /ROAD /23802/2017/1945 दिनांक 05.02.2018

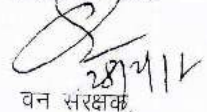
2. इस कार्यालय का पत्रांक 371 दिनांक 13.02.2018

महाराज,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत गुवा-सलाई पथ का चौड़ीकरण-मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए अप्रयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से स्मार्त दी गई है। सुरक्षा के दृष्टि से दोनों दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण प्रस्तावों को एक में सम्मिलित कर एक सुरक्षा कर्मी के प्रावधान के आलोक में संशोधित दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का प्रावकलन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। स्थल पर भी उपरोक्त दोनों वनरोपण स्थल एक साथ ही है। इसी के अनुसार वनरोपण का चालान जेनरेट कर राशि नियमानुसार जमा की जाय।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वसनी,


वन संरक्षक,

सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

गुवा-सलाई पथ के 2.0 कि०मी० से 11.00 कि०मी० एवं 11.00 कि०मी० से 29.00 कि०मी० के विरुद्ध भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के शर्त के आलोक में
P.C.A. का मांग

पौधों की संख्या - 1000 प्रति हे०

दूरी - 3m x 3m

मजदूरी - 229.9

कम्पार्टमेंट- तिरिलपोसी-03

थाना न० - 25

थाना - जराईकेला

जिला - पश्चिमी सिंहभूम

Net रकवा - 18.00 हे०

काय विवरणी	दर प्रति हे० में				18.00 हे० हेतु व्यय				अभ्युक्ति
	मानव दिवस (स०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)									
सर्वे एवं डिग्राफेशन	3.00	0.00	689.70	689.70	54.00	0.00	12414.60	12414.60	
सामान्य झाड़ी	7.00	0.00	1609.30	1609.30	126.00	0.00	28967.40	28967.40	
कटबैक/कोपिसिबग, ग्लाइम्बर कटिंग, स्टाम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	0.00	2299.00	2299.00	180.00	0.00	41382.00	41382.00	
गड्डा घेरान-नीचे की चौड़ाई 1.75 मी०, उपर की चौड़ाई 1.25 मी० एवं गहराई 1.25 मी० पत्थर दिवार घेरान-नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, उपर की चौड़ाई 0.30 मी० एवं ऊँचाई 1.00 मी० ड्रेसिंग सहित (103 वेन)	12.00	11782.74	2758.80	14541.54	216.00	212089.32	49658.40	261747.72	06 चेन प्रति हे०
मृदा कार्य- 0.30m x 0.30m x 0.30m	22.00	0.00	5057.80	5057.80	396.00	0.00	91040.40	91040.40	
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	45.00	0.00	10345.50	10345.50	810.00	0.00	186219.00	186219.00	
अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	10.00	0.00	2299.00	2299.00	305.00	0.00	70119.50	70119.50	रात्रि प्रहरी हेतु 01 मानव दिवस प्रति दिवस के आधार पर प्राक्कलन प्राक्कलित है।
सामग्री-पोलीथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला घेरान सामग्री आदि	0.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	24300.00	0.00	24300.00	
विविध कार्य प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	
इन्द्री प्वाइंट कार्य	28.00	9518.75	6437.20	15955.95	504.00	171337.50	115869.60	287207.10	
योग :-	137.00	22801.49	31496.30	54297.79	2591.00	410426.82	595670.90	1006097.72	

समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर 229.90 पर 10 प्रतिशत मजदूरी दर में वृद्धि (252.89) के आधार पर गणना की गई है।							
अश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	13.00	0.00	3287.57	3287.57	234.00	0.00	59176.26	59176.26
वृक्षारोपण	22.00	0.00	5563.58	5563.58	396.00	0.00	100144.44	100144.44
दो कोड़नी एवं निकौनी	25.00	0.00	6322.25	6322.25	450.00	0.00	113800.50	113800.50
ट्रेय के ढर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	0.00	505.78	505.78	36.00	0.00	9104.04	9104.04
पौधों की सुरक्षा	9.16	0.00	2316.47	2316.47	365.00	0.00	92304.85	92304.85
								सुरक्षा हेतु 01 मानव दिवस प्रति दिवस के आधार पर प्राक्कलन प्राक्कलित है।
सामग्री-बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि	0.00	1575.00	0.00	1575.00	0.00	28350.00	0.00	28350.00
विविध कार्य (छायांकण एवं प्रसार सहित)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00
योग :-	71.16	1725.00	17995.65	19720.65	1481.00	31050.00	374530.09	405580.09
संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर 252.89 पर 10 प्रतिशत मजदूरी दर में वृद्धि (278.18) के आधार पर गणना की गई है।							
एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	0.00	3894.52	3894.52	252.00	0.00	70101.36	70101.36
सामग्री-बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	14130.00	0.00	14130.00
पौधों की सुरक्षा	12.17	0.00	3385.45	3385.45	365.00	0.00	101535.70	101535.70
								सुरक्षा हेतु 01 मानव दिवस प्रति दिवस के आधार पर प्राक्कलन प्राक्कलित है।
गड्ढा घेरान की मरम्मत (06 चेन प्रति हे०)	6.00	0.00	1669.08	1669.08	216.00	0.00	60086.88	60086.88
मृत पौधों की प्रतिस्थापन	2.00	0.00	556.36	556.36	36.00	0.00	10014.48	10014.48
योग :-	34.17	785.00	9505.41	10290.41	869.00	14130.00	241738.42	255868.42
संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर 278.18 पर 10 प्रतिशत मजदूरी दर में वृद्धि (306.00) के आधार पर गणना की गई है।							
एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	0.00	4284.00	4284.00	252.00	0.00	77112.00	77112.00
सामग्री-बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	14130.00	0.00	14130.00
पौधों की सुरक्षा	12.17	0.00	3724.02	3724.02	365.00	0.00	111690.00	111690.00
								सुरक्षा हेतु 01 मानव दिवस प्रति दिवस के आधार पर प्राक्कलन प्राक्कलित है।
मृत पौधों की प्रतिस्थापन	2.00	0.00	612.00	612.00	36.00	0.00	11016.00	11016.00
योग :-	28.17	785.00	8620.02	9405.02	653.00	14130.00	199818.00	213948.00
संपोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर 306.00 पर 10 प्रतिशत मजदूरी दर में वृद्धि (336.6) के आधार पर गणना की गई है।							
एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	0.00	4712.40	4712.40	252.00	0.00	84823.20	84823.20
सामग्री-बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	5400.00	0.00	5400.00

[illegible]

सुरक्षा पर व्यय	12.17	0.00	6597.36	6597.36	365.00	0.00	197866.50	197866.50	सुरक्षा हेतु 01 मानव दिवस प्रति दिवस के आधार पर प्राक्कलन प्राक्कलित है।
योग :-	12.17	0.00	6597.36	6597.36	365.00	0.00	197866.50	197866.50	
महायोग :-	363.52	26396.49	105955.97	132352.46	8252.00	475136.82	2517224.06	2992360.88	
उपरोक्त वर्षों में सामग्री में संभावित वृद्धि को समायोजित हेतु प्रस्तावित राशि लगभग 10.27% ^{द्वारा} योनि								48799.00	
योग :-								3041159.88	
या 3041159.00									

नोट :- प्रति वर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी दर में वार्षिक वृद्धि के साथ गणना की गई है एवं सामग्री में कुल लगभग 10.27 प्रतिशत की वृद्धि एक साथ गणना की गई है।

यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची से प्राप्त वृक्षारोपण की स्वीकृत दर के आधार पर तैयार किया गया है।

इस प्रकार 18 हे० वृक्षारोपण का प्राक्कलित राशि

3041159.00

अतः 1.00 हे० के लिये वृक्षारोपण का प्राक्कलित राशि

168953.00

17.00 हे० के लिये वृक्षारोपण का प्राक्कलित राशि

2872206.00

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।